दिनांक 26 जून, 1987

सं० ओ० वि०/सोनी/50-87/25022.—चूंकि हरियाणा के राज्य पाल की राये है कि मैं० एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि०, सोनीपत, के श्रमिक श्री सदरा, पुत्र श्री राम मेहर मार्फत भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री सदरा की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से गैर-हजिर रह कर नौकरी से अपना पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है।

सं० ओ० वि०/सोनी/53-87/25029.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि०, सोनीपत, के श्रमिक श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री शिव कमार शर्मा, मार्फत भारतीय मजदूर सघ कार्यालय, सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिनिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से गैर-हाजिर रह कर नौकरी से अपना पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है।

आर. एस. अग्रवाल,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

25959 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.